

निराक्षरता प्रकरण सं० 51/2013

1. याक्षीन खां पुत्र श्री अर्जुन अजीज जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ठाणी तहसील सादुलशाहर जिला श्रीगंगानगर (राज.) के कायम मुकाम
- 1.1 जैना बीबी पत्नी श्री याक्षीन खां जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ठाणी तहसील सादुलशाहर, जिला श्रीगंगानगर
- 2 समीरा बीबी पुत्री श्री याक्षीन खां जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ठाणी तहसील सादुलशाहर, जिला श्रीगंगानगर
- 3 इसरहूल खां पुत्र श्री याक्षीन खां जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ठाणी तहसील सादुलशाहर, जिला श्रीगंगानगर
- 4 नजीरा बीबी पुत्री श्री याक्षीन खां जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ठाणी तहसील सादुलशाहर, जिला श्रीगंगानगर
- 1.5 मोहम्मद नवाज पुत्र श्री याक्षीन खां जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ठाणी तहसील सादुलशाहर, जिला श्रीगंगानगर



बनाम

1. नूरनबी खां
2. अर्जुन हनीफ खां
3. अर्जुन मजीद खां
4. सफीक खां
5. अनायत बीबी जौजा श्री मौलवी खेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ठाणी तहसील सादुलशाहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. ग्राम पंचायत अलीपुरा जारिये सरपंच ग्राम पंचायत तहसील सादुलशाहर जिला श्रीगंगानगर
7. ग्राम पंचायत नूरपुरा जारिये सरपंच ग्राम पंचायत तहसील सादुलशाहर जिला श्रीगंगानगर

निराक्षरता प्रकरण सं० 51/2013

उपस्थित : 1. श्री काशीराम रणवा, अधिवक्ता, निराक्षरता
2. श्री ओम प्रकाश बलरा, अधिवक्ता और निराक्षरता निर्णायक

आदेश दिनांक : 17.11.2017

प्रस्तुत निराक्षरता के संबंध में तथ्य इस प्रकार हैं कि निराक्षरता निर्णायक नूरपुरा ठाणी का बाहिदा है। नई आबादी नूरपुरा ग्राम पंचायत अलीपुरा के क्षेत्राधिकार में स्थित है।

श्री विद्या कलश (पंजाब)
श्री विद्या कलश

1/11/2013

वर्तमान में नरपुरा स्वयं ग्राम पंचायत है। निगरानीकर्ता ने मौजा नरपुरा का अहाला संख्या सी-25 ग्राम पंचायत अलीपुरा से अपने हक में खरीद के आधार पर अलॉट करवाया था। और इसके पहा विवेक ग्राम पंचायत अलीपुरा के तत्कालीन सरपंच श्री विमनलाल ने अपने व महाहन के हस्ताक्षर कर जायी कर निगरानीकर्ता को दिनांक 05.06.1970 को सिपुर्द कर दिया था। विवेक विवेक दिनांक 05.06.1970 का विवेक निगरानीकर्ता इसका पहा विवेक ग्राम पंचायत अलीपुरा से अपने हक में खरीद के आधार पर अलॉट करवाया था। और इसके पहा विवेक ग्राम पंचायत अलीपुरा के तत्कालीन सरपंच श्री विमनलाल के नाम से फर्मा हस्ताक्षर कर फर्मा पहा पुरानी तारीख में निगरानीकर्ता के इस मूखण्ड पर काबिल होने की दुम्भना से बनाया है जो फर्माकारी के आधार पर होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सिविल न्यायालय ने निगरानीकर्ता का विवेक दिनांक 05.06.1970 को जायी होना मानकर आधिकार मानकर दवा दिनांक 28.09.2013 को खारिज कर दिया था। और निगरानीकर्ता ने आज तक कभी इस फर्माकारी से बनाये गये विवेक विवेक का कोई विवेक किये से नहीं किया। निगरानीकर्ता अब जब अपने इस मूखण्ड में नव निर्माण करने लगा तब और-निगरानीकर्ता ने फर्मा विवेक का हवाला देकर

हस्ताक्षरित करने या इसका दुबारा विवेक और-निगरानीकर्ता संख्या 1 ता पुनः और निगरानीकर्ता संख्या 1 ता 5 के पिला एवं पिला को किसी प्रकार से कर देने के बाद ग्राम पंचायत इस मूखण्ड संख्या सी-25 नई आबादी नरपुरा को मूखण्ड को विवेक कर सकी थी, विवेक किये गये व इसका विवेक विवेक जायी जायी करने से यह मूखण्ड ग्राम पंचायत के पास नहीं था और ना ग्राम पंचायत किये जाकर इसका विवेक दिनांक 05.06.1970 को निगरानीकर्ता के हक में मूखण्ड संख्या सी-25 नई आबादी नरपुरा हाणी निगरानीकर्ता को विवेक देने में अपनी असमर्थता बताते हुए इकर कर दिया है।



श्री विद्या कलश (पंजाब)

आति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
(नखतदान बरहठ)

11/11/17



सिनाया गया।

आदेश आज दिनांक 17.11.2017 में द्वारा लिखाया जाकर खले न्यायालय में

पचायत को भिजवाई जावे।

को जारी किया गया पट्टा बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम को निरस्त किया जाता है एवं इसी मूखण्ड संख्या सी-25 का दिनांक 05.06.1970 सादलशहर के मूखण्ड संख्या सी-25 का जारी किया गया पट्टा दिनांक 05.06.1973 निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत मौजा अतीपुरा पंचायत समिति निष्कर्षतः उपरोक्त दृष्टांतों/सिद्धांतों के आलोक में निगरानीकर्ता की

2013 को खारिज कर दिया था।

1973 को विक्रय विलेख निराधार व बिना अधिकार मानकर दवा दिनांक 28.09.1970 को जारी होना मानकर गैर-निगरानीकर्ता का दिनांक सादलशहर के दीवानी प्रकरण संख्या 01/2011 में भी निगरानीकर्ता का विक्रय 19.04.1968 को जारी पट्टा का बहाल रखा गया है। सिविल न्यायालय(क.ख.) गैर निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत मौजा नूरपुरा का मूखण्ड संख्या सी-30 दिनांक इसी मूखण्ड संख्या सी-30 दिनांक 05.06.1973 का पट्टा खारिज किया गया है एवं को अर्गट मूखण्ड संख्या सी-30 दिनांक 05.06.1970 एवं गैर निगरानीकर्ता की 52/2013 अनवानी यासीन खा बनम नूरबी खा वगैरह निगरानीकर्ता यासीन खा न्यायसंगत नहीं है। इस न्यायालय में निर्मित निगरानी पंचायत प्रकरण संख्या मौलवी शेर मोहम्मद के नाम विधि विरुद्ध जारी किया है, उसे बहाल रखा जाना जारी रूटि की गई है। ऐसे विधिविरुद्ध जारी दोहरा पट्टा दिनांक 05.06.1973, जो का अधिकार ही नहीं रह जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा पुनः पट्टा अर्गट करने में हेतु उपलब्ध ही नहीं था तो ग्राम पंचायत को बाद में उकस पुनः पट्टा जारी करने निषादन पूर्व में प्रतिकूल प्रार्थि पर कर दिया गया, वह मूखण्ड तत्पश्चात् निषादन करने का अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से जिस मूखण्ड का

11/11/17